[2022] 15 एस. सी. आर 232

आय कर के प्रधान निदेशक

(जाँच) और ओआरएस।

वी.

लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया

(2022 की सिविल अपील संख्या 4081)

13 जुलाई, 2022

[हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: एसएस। 132 और 133-वित्तीय वर्ष के दौरान खोज और जब्ती-विश्वास करने का कारण-निर्धारिती

आय-ब्याज आय को दर्शाने वाला कर विवरण जिसमें कर भी लगाया गया है-संतुष्टि नोट में विश्वास करने के कारणों को दर्ज करने के बाद, एस के संदर्भ में खोज की गई थी। 132 - संतुष्टि नोट नहीं था निर्धारिती को आपूर्ति की गई और न ही एस को स्पष्टीकरण के संदर्भ में खुलासा करने की आवश्यकता थी। 132 (1) —निर्धारिती ने राजस्व द्वारा जारी प्राधिकरण के वारंट को चुनौती दी-उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण के वारंट को रद्द कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः उच्च न्यायालय का यह विचार कि निर्धारिती के परिसरों की तलाशी लेने का अधिकार अमान्य है, कायम नहीं रखा जा सकता है-विस्तृत संतुष्टि नोट कंपनी के निदेशक-प्रबंधक की लेखा पुस्तकों में कई प्रविष्टियों को दर्शाता है जिसमें निदेशक ने अहमदाबाद में निर्धारिती से Rs.10 करोड़ के ऋण के लिए संपर्क किया था, एक सामान्य लेनदेन प्रतीत नहीं होता है -

बंधक के बाद के पुनर्भुगतान और संबंधित निर्धारण वर्ष में परिलक्षित ब्याज आय को वास्तविकता का रंग देने के लिए निर्धारिती द्वारा उठाए गए कदम प्रतीत होते हैं-अल्पावधि के लिए 1 करोड़ रुपये का निवेश ब्याज आय अर्जित करने के लिए नहीं था क्योंकि उसी निर्धारण वर्ष में इसका पुनर्भुगतान किया गया था-राजस्व का उद्देश्य निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए धन की निधि सूची की जांच करना है-ऐसा विश्वास सरासर या सनकी नहीं है-राजस्व द्वारा यह एक उचित विश्वास किया गया था कि निर्धारिती किसी भी लेखा पुस्तिका या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करेगा या पेश नहीं करेगा जो ब्याज आय अर्जित करने के लिए नहीं था।

कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होना ऐसा विश्वास था

अनुमानों पर आधारित नहीं बल्कि निर्धारिती द्वारा मामलों के सामान्य संचालन में तैयार की गई एक प्रामाणिक राय पर आधारित आम तौर पर राजस्व यह पता लगाना चाहता है कि क्या राशि एक अघोषित आय पर्याप्तता है या विश्वास करने के कारणों की अपर्याप्तता है।

तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकरण के कार्य की वैधता पर विचार करते समय अभिलिखित किया नहीं जा सकता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने तलाशी के प्राधिकरण को रद्द करने में उचित नहीं ठहराया।

एस. 132 -खोज और जब्ती के तहत-पालन किए जाने वाले सिद्धांत

बताया गया है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. विस्तृत संतुष्टि नोट कई दर्शाता है

एसएस और अन्य की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियाँ। जिस तरह से एसएस, जो या तो सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में था या गोवा में था, अहमदाबाद में करदाता से Rs.10 करोड़ के ऋण के लिए संपर्क कर रहा था, वह एक सामान्य लेनदेन प्रतीत नहीं होता है। बंधक के बाद का पुनर्भुगतान

और सुसंगत निर्धारण वर्ष में परिलक्षित ब्याज आय निर्धारिती द्वारा उठाए गए कदमों के रूप में प्रतीत होती है

अंतिम निष्कर्ष जिन पर राजस्व अधिनियम के अध्याय XIV-B के संदर्भ में खंड मूल्यांकन तैयार करते समय पहुंचेगा। विश्वास की न्यायसंगतता पर विचार करने की कसौटी यह है कि क्या ऐसे कारण पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं या सनकी हैं। जवाब में जवाबी हलफनामे से पता चलता है कि राजस्व का इरादा धन की परत को अलग करना था, जिसके निर्धारणकर्ता द्वारा किए जाने का संदेह है। राजस्व ने जोर देकर कहा है कि अल्पावधि के लिए बेनामी काले धन को कानून के दायरे में लाने के लिए आवास प्रविष्टि एक सामान्य कार्यप्रणाली है। एक छोटी अवधि के लिए Rs.10 करोड़ का निवेश ब्याज आय अर्जित करने के लिए नहीं था क्योंकि उसी मूल्यांकन वर्ष में इसका भुगतान किया गया था। राजस्व का इरादा निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए धन के फंड ट्रेल की जांच करना है।

इस तरह का विश्वास टोपी या सनकी से बाहर नहीं है। [पैरा 24 और 25] [257 बी-एच; 258-ए-बी]

2. राजस्व के अनुसार, धारा 132 (1) के खंड (बी) और (सी)

प्राधिकरण के वारंट को मंजूरी दिए जाने से पहले संतुष्ट थे।

संतुष्टि नोट एक निर्धारिती के संदर्भ में दर्ज किया गया था जिसके अधिकार क्षेत्र का आकलन अधिकारी पश्चिम बंगाल राज्य में था। यह ऐसे निर्धारिती के खातों का जाल है जिसकी आवश्यकता होती है

विक्षिप्त होने के लिए। राजस्व के लिए यह अनुचित नहीं है

आशंका है कि निर्धारिती पश्चिम बंगाल राज्य में निर्धारण अधिकारी के समक्ष समन का जवाब नहीं देगा। यह भी आरोप लगाया गया था कि इस तरह के समन से एसएस और उनके समूह के खिलाफ राजस्व द्वारा एकत्र की गई जानकारी का खुलासा होगा। इसलिए, राजस्व द्वारा यह एक उचित विश्वास व्यक्त किया गया था कि निर्धारिती किसी भी लेखा पुस्तिका या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करेगा या पेश नहीं करेगा जो अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होंगे। इस तरह का विश्वास अनुमानों पर आधारित नहीं था, बल्कि आम तौर पर निर्धारिती द्वारा मामलों के सामान्य आचरण में तैयार की गई एक प्रामाणिक राय पर आधारित था। निर्धारिती को पश्चिम बंगाल राज्य में आयकर अधिकारियों के समक्ष पेश होने का नोटिस कंपनी और उसके सहयोगियों द्वारा खातों के जाल का पता लगाने के पूरे प्रयास को विफल करने के लिए कंपनी और उसके समूह के खिलाफ सामग्री का पर्याप्त नोटिस होता। यहां तक कि धारा 132 (1) का खंड (सी) भी संतुष्ट है। निर्धारिती के पास Rs.10 करोड़ थे जो

कंपनी को ऋण के रूप में अग्रिम। राजस्व यह पता लगाना चाहता है कि क्या ऐसी राशि एक अघोषित आय है जिसमें वे स्रोत शामिल होंगे जिनसे किसी पूरी तरह से अजनबी व्यक्ति को ऋण के रूप में आई. डी. 1 करोड़ की ऐसी राशि दी गई थी, जो निर्धारिती के मामलों या किसी अन्य लिंक से असंबद्ध थी। कैसे अहमदाबाद के एक व्यक्ति ने गोवा में निवेश के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित कंपनी को Rs.10 करोड़ की अग्रिम राशि दी है। राजस्व विफल या सफल हो सकता है लेकिन यह सीमा पर तलाशी और जब्ती कार्यों में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं होगा, जिससे राजस्व को निर्धारिती द्वारा किए गए निवेश से जुड़े रहस्य को उजागर करने का अवसर नहीं मिलेगा। [पैरा 27 और 28] [258-ई-एच; 259-ए-डी]

3. अभिलेख की वैधता पर विचार करते समय अभिलिखित विश्वास करने के कारणों की पर्याप्तता या अपर्याप्तता पर विचार नहीं किया जा सकता है।

तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकरण का कार्य। केवल अभिलिखित विश्वास न्यायसंगत है, लेकिन केवल वेड्सबरी के तर्कसंगतता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए। ऐसी तर्कसंगतता

दर्ज किए गए कारणों पर विश्वास करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने की शक्ति नहीं है।

[पैरा 32] [262-ई-एफ] आय कर (निवेश) और ओ. आर. एस. के प्रधान निदेशक। वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया

टाटा सेल्युलर वी. भारत संघ (1994) 6 एससीसी 651: [1994] 2 पूरक। एस. सी. आर. 122; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। राजेंद्र डी. हरमलकर 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी

486 ; उत्कल आपूर्तिकर्ता बनाम। माँ कनक दुर्गा एंटरप्राइजेज

2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 301 संदर्भित।

4. अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी और जब्ती के मामले में रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के सिद्धांत इस प्रकार हैं: i) राय का गठन और दर्ज किए गए विश्वास के कारण न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य नहीं हैं, लेकिन (ii) जानकारी सामग्री के आधार पर अधिकृत अधिकारी के कब्जे में होनी चाहिए और राय का गठन ईमानदार और प्रामाणिक होना चाहिए। यह केवल दिखावा नहीं हो सकता। किसी भी बाहरी या अप्रासंगिक सामग्री पर विचार करने से विश्वास/संतुष्टि दूषित हो जाएगी; iii) प्राधिकरण के पास अपने कब्जे में जानकारी होनी चाहिए जिसके आधार पर एक उचित विश्वास स्थापित किया जा सकता है कि व्यक्ति

संबंधित ने लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को पेश करने में चूक की है या पेश करने में विफल रहा है, जिनके लिए समन या नोटिस जारी किया गया था, या ऐसा व्यक्ति ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को पेश नहीं करेगा, भले ही उसे समन या नोटिस जारी किया गया हो; या iv) ऐसे व्यक्ति के पास कोई धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु है जो या तो पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करती है।

विश्वास के गठन के कारणों की जांच करना, हालांकि इसकी पर्याप्तता या पर्याप्तता नहीं। अदालत करेगी जांच क्या अभिलिखित कारण दुर्भावना से प्रेरित हैं या केवल ढोंग से प्रेरित हैं और कोई बाहरी या अप्रासंगिक सामग्री नहीं है

विचार किया गया; vi) संतुष्टि पत्र का हिस्सा बनने वाले ऐसे कारण न्यायालय की न्यायिक चेतना को संतुष्ट करने के लिए हैं और ऐसे संतुष्टि पत्र के किसी भी हिस्से को आदेश का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए; vii) यह सवाल कि क्या ऐसे कारण पर्याप्त हैं या नहीं, न्यायालय के लिए रिट याचिका में समीक्षा करने का विषय नहीं है। सक्षम प्राधिकारी को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाले आधारों की पर्याप्तता एक न्यायोचित मुद्दा नहीं है; viii) विश्वास के गठन के कारणों की प्रासंगिकता का परीक्षण न्यायिक प्रतिबंध द्वारा किया जाना है जैसा कि प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायालय करता है [2022] 15 एस. सी. आर.

अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, बल्कि केवल उस तरीके की समीक्षा करता है जिसमें निर्णय लिया गया था। न्यायालय इसकी पर्याप्तता या पर्याप्तता की जांच नहीं करेगा; ix) वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से जोड़े गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में, आयकर अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए ऐसे कारणों को किसी भी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण। उच्च न्यायालय द्वारा तलाशी के अधिकार को दरकिनार करना उचित नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 33 और 34] [262-एफ जी; 263-ए-एच; 264-ए-सी]

एस. नारायणप्पा बनाम सी. आई. टी., ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 523: [1967] 1 एससीआर 590; एन. के. ज्वेलर्स एंड अदर वी. आयकर आयुक्त, नई दिल्ली (2018) 12 एस. सी. सी. 627; आयकर अधिकारी, प्रथम वार्ड, जिला VI, कलकत्ता और अन्य। v.LakhmaniMewal दास (1976) 3 SCC 757: [1976]

3 एस. सी. आर. 956; प्रताप सिंह (डॉ.) बनाम निदेशक प्रवर्तन (1985) 3 एससीसी 72: [1985] 3 एस. सी. आर. 969; भारत संघ बनाम। अग्रवाल आयरन इंडस्ट्रीज (2014) 15 एस. सी. सी. 215 [2014] 11 एस. सी. आर. 181;

आयकर, इलाहाबाद और अन्य। वी. विंध्य धातु निगम और अन्य। (1997) 5 एस. सी. सी. 321; आयकर अधिकारी, विशेष जांच सर्कल-बी, मेरठ बनाम। सेठ

भाइयों और ओआरएस। (1969) 2 एस. सी. सी. 324 [1970] 1 एस. सी. आर. 601; आयकर महानिदेशक (जांच), पुणे और अन्य। वी. स्पेसवुड फर्निशर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। (2015) 12 एस. सी. सी. 17: [2015] 6 एस. सी. आर. 807; भारत संघ बनाम। अजीत जैन और अन्र। (2003) 260 आईटीआर 80 (एससी); फूल चंद बजरंग लाल और अन्र। वी. आयकर अधिकारी और ए. एन. आर. (1993) 4 एससीसी 77: [1993] 1 पूरक। एस. सी. आर. 28; एन. नागेंद्र राव एंड कंपनी बनाम ए. पी. राज्य (1994) 6 एस. सी. सी. 205: [1994] 3 पूरक। एस. सी. आर. 144; सेठ ब्रदर्स और अन्य। आदि। ; विंध्य धातु निगम और अन्य; अजीत जैन बनाम। भारत संघ (2000) 242 आई. टी. आर. (डी. एल.); डिमोंडस्टार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम आयकर महानिदेशक (जांच) (2005) 278 आईटीआर 36 (बम); एम. ई. सी. टी. ई. सी. वी. आय निदेशक-कर (जांच)

(2021) 433 आईटीआर 203 (तेलंगाना); एल. आर. गुप्ता और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1991) एससीसी ऑनलाइन डेल। 584 : (1992) 194 आई. टी. आर. 32 (दिल्ली); जनक राज शर्मा बनाम।

आय कर (निवेश) और ओ. आर. एस. के प्रधान निदेशक। वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया

निरीक्षण निदेशक (जांच) और अन्य। (1995) 215

आईटीआर 234 (पी एंड एच)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2018) 12 एस. सी. सी. 627

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

(1997) 5 एस. सी. सी. 321

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[1970] 1 एससीआर 601

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2015] 6 एससीआर 807

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[1967] 1 एससीआर 590

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[1976] 3 एससीआर 956

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[1985] 3 एससीआर 969

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1993] 1 पूरक। एससीआर 28

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[1994] 3 पूरक। एससीआर 144

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[2014] 11 एससीआर 181

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[1994] 2 पूरक। एससीआर 122

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.4081

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 22.02.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के आर/विशेष सिविल आवेदन No.16360 में अहमदाबाद में गुजरात सरकार द्वारा।

बलबीर सिंह, एएसजी, रुपेश कुमार, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी,

संदीप कुमार महापात्रा, सौरभ मिश्रा, उदय खन्ना, राजेश नायक, सुश्री सुरभी सिंह, समरवीर सिंह, सागरिका कौल, श्याम गोपाल, गोपाल चंद्र मिश्रा, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गालव सी. शर्मा, पार्थसारथी मेहद। ,

सोमनाद्री गौड़ कटम, नितिन ठुकराल, श्रीमती सरबजोत वालिया, सिराजुद्दीन मलिक, एड. उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपील में चुनौती दिनांकित आदेश को दी गई है।

22.02.2019 अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिसके द्वारा [2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत अपीलार्थी 1 द्वारा जारी दिनांक 07.08.2018 के प्राधिकरण वारंट को रद्द कर दिया गया था।

2. प्रत्यर्थी 3 ने अपनी रिट याचिका में तलाशी और जब्ती के लिए प्राधिकरण के कार्य को इस आधार पर चुनौती दी कि यह एक मछली पकड़ने की जांच है और अधिनियम की धारा 132 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तें संतुष्ट नहीं हैं। यह निर्धारिती का रुख है कि वह कुछ धन और मेसर्स के निवेश के लिए एक अवसर की तलाश कर रहा था। गोवा रिक्रिएशन क्लब प्राइवेट लिमिटेड को अपने व्यवसाय की स्थापना के लिए वित्त की आवश्यकता थी और इसलिए परिणामस्वरूप ऋण के लिए निर्धारिती से संपर्क किया। प्रतिभूति के रूप में, उधारकर्ता कंपनी ने पेशकश की कि कोई अन्य कंपनी अपनी संपत्ति निर्धारिती को देगी। यह देखा जा सकता है कि राजस्व के अधिकारियों के खिलाफ दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है। 3. राजस्व द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे में, लेन-देन का इतिहास देते हुए, यह कहा गया था कि "घटनाओं की श्रृंखला ने विश्वसनीय स्थिति पैदा की।

याचिकाकर्ता (निर्धारिती) द्वारा विचाराधीन कंपनी के साथ किए गए लेन-देन पर संदेह है क्योंकि यह प्रवेश संचालकों द्वारा अभ्यास की जा रही परिचित कार्यप्रणाली है। यह भी कहा गया था कि आकलन से राजस्व के नोटिस का पालन करने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि निर्धारिती ने नोटिस से बचने या उसका पालन न करने के लिए अधिकार क्षेत्र का बहाना लाया होगा। यह राजस्व के हित में था कि यह किसी भी बाहरी एजेंसी/निकाय या मुख्य समूहों के साथ वित्तीय लेनदेन के जाल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी भी सदस्य को खुलासा करने की उम्मीद नहीं थी। सरजू शर्मा और संबद्ध समूह की कंपनियाँ। राजस्व द्वारा विचार की गई कार्रवाई का कोई भी संकेत मामले की गोपनीयता और गोपनीयता को बरकरार रखने से समझौता करने की संभावना थी। यह आगे कहा गया कि निर्धारिती द्वारा किया गया प्रत्यक्ष निवेश एक विवेकपूर्ण व्यवसायी की दृष्टि से एक विवेकपूर्ण निवेश विकल्प नहीं पाया गया क्योंकि जिस कंपनी को निर्धारिती द्वारा ऋण प्रदान किया गया था, उसका कोई स्थापित व्यवसाय नहीं था, न ही बाजार में कोई सद्भावना थी, न ही वह किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी, न ही निर्धारिती का पहले कंपनी के साथ कोई वित्तीय लेनदेन था। ऋण के त्वरित पुनर्भुगतान से पता चलता है कि निवेश अर्जित करने के लिए नहीं था

स्थिर ब्याज आय। निवेश और लेन-देन की प्रकृति

1 संक्षेप में, 'राजस्व'

3 3 संक्षेप में, 'निर्धारिती'

4 संक्षेप में, 'कंपनी' आय कर (निवेश) और ओ. आर. एस. के प्रधान निदेशक। वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया [हेमंत गुप्ता, जे.]

जब तक व्यवसाय चलाकर पर्याप्त धन उत्पन्न नहीं हो जाता या किसी अन्य अघोषित स्रोत से कुछ धन बाद में नहीं आ जाता, तब तक व्यवसाय चलाने के लिए अल्प अवधि के लिए बही खाते में अघोषित काले धन को लाने के लिए प्रवेश संचालकों द्वारा उपयोग की जाने वाली परिचित कार्यप्रणाली के समान था। यह जांच प्रक्रिया का वह कोण है जिसमें निर्धारिती द्वारा भुगतान किए जा रहे धन के निशान की जांच की जा रही है।

4. निर्विवाद तथ्य यह है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निर्धारिती ने रु। 6 01.06.2016 पर करोड़ और रु। 4 मेसर्स गोवा रिक्रिएशन क्लब प्राइवेट लिमिटेड को 21.06.2016 पर करोड़ रुपये। निर्धारिती ने गाँव बाम्बोलिम, जिला में स्थित सर्वेक्षण संख्या 31/1-ए के हिस्से के रूप में संपत्ति को बंधक बनाकर ऋण प्राप्त किया। उत्तरी गोवा। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि निर्धारिती 18.05.2016 पर कंपनी का निदेशक बन गया और फिर 23.06.2016 पर ऐसा होना बंद हो गया। यह भी स्वीकार किया जाता है कि 06.10.2016 से 31.03.2017 तक अलग-अलग तिथियों पर Rs.10 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था और ऋण के पुनर्भुगतान के बाद, 10.07.2017 पर बंधक जारी किया गया था। कम्पनी ब्याज सेहो दैत छल। यह स्वीकार किया जाता है कि निर्धारिती ने अपनी आय-51,946/- की ब्याज आय दर्शाते हुए कर विवरणी दाखिल की है, जिस पर भी कर लगाया गया है। 02.03.2021 पर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया गया था।

5. विश्वास करने के कारणों को दर्ज करने के बाद प्राधिकरण के संदर्भ में

संतोष के नोट में, निर्धारिती के आवासीय परिसर में 10.08.2018 पर तलाशी ली गई जो 3: 00 अधिनियम की धारा 132 के संदर्भ में मैं 11.08.2018 पर हूँ। निर्धारिती को संतुष्टि पत्र की आपूर्ति नहीं की गई थी और न ही वित्त अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित अधिनियम की धारा 132 (1) के स्पष्टीकरण के संदर्भ में इसका खुलासा करने की आवश्यकता थी। 2017 पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात 01.04.1962 पर। अभिलिखित कारणों को उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

6. उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के खिलाफ तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की व्याख्या करने के लिए राजस्व के रुख को निम्नानुसार दोहराया हैः

" क) अधिकृत अधिकारियों/जांच अधिकारियों ने श्री सरजू शर्मा और कंपनियों के अन्य संबद्ध समूह के मामले से संबंधित विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया, जिनका श्री सरजू शर्मा (पनाकोप्स 3325 ए) और मैसर्स के साथ वित्तीय लेनदेन हुआ था। गोवा रिक्रिएशन क्लब प्राइवेट लिमिटेड, गोवा (पैन-एएनवाईपीएस 6038 एफ), जिसे इसके बाद '[2022] 15 एस. सी. आर.' के रूप में संदर्भित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंपनी '। श्री सरजू शर्मा सिलीगुड़ी, जिला-जलपाईगुड़ी के एक प्रमुख व्यावसायिक उद्यमी हैं, जो मेसर्स होटल अलीशन एंड रेस्तरां के नाम और शैली के तहत होटल, रेस्तरां और बार चलाने के आतिथ्य व्यवसाय में लगे हुए हैं। कम्पनी मेसर्स। वर्ष 2015 में निगमित होने के बाद गोवा रिक्रिएशन क्लब प्राइवेट लिमिटेड ने कैसिनो उद्योग की खेल और मनोरंजन इकाई की दुनिया में कदम रखा है। कैसिनो व्यवसाय 29 जुलाई, 2016 से ग्रैंड हयात होटल, बैम्बोलिन, गोवा के परिसर से संचालित किया जा रहा है। ख) मेसर्स गोवा रिक्रिएशन क्लब प्राइवेट लिमिटेड का नाम डी. जी. आई. टी. (आई. एन. वी.), डब्ल्यू. बी., सिक्किम और एन. ई. आर. द्वारा प्रसारित विमुद्रीकरण अवधि के बाद उच्च मूल्य की नकद जमा/संदिग्ध नकद जमा के आंकड़ों के बारे में विश्वसनीय जानकारी में सामने आया, जिसमें यह पाया गया कि उक्त कंपनी ने निम्न प्रकार की नकदी जमा की थीः

ग) मैसर्स गोवा रिक्रिएशन क्लब प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड को शामिल किया गया था 28.09.2015 रुपये 2,00,000/- की नाममात्र चुकता शेयर पूंजी के साथ। शुरुआती निदेशक सरजू शन्ना और श्री रोहित गुरुभक्त शर्मा थे। अपने निगमन के प्रारंभिक वर्ष के दौरान, यानी वित्तीय वर्ष में कंपनी ने विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों से 57.7 करोड़ रुपये का भारी असुरक्षित ऋण जुटाया।

विशिष्ट तरीके से, क्योंकि उस समय कंपनी ने अभी तक कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू नहीं की थीं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कंपनी ने एक करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण जुटाया। विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों से 34.10 करोड़ जिसमें याचिकाकर्ता से Rs.10 करोड़ की राशि शामिल है। अहमदाबाद से श्री लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया। इसका विवरण

कंपनी द्वारा प्राप्त और कंपनी के बैंक खातों में जमा किए गए असुरक्षित ऋण नीचे दिए गए हैं:

XX

XX

XX

घ) उपरोक्त चार्ट से यह देखा गया है कि कंपनी ने धन जुटाया है। इसके निगमन के दो वर्षों के भीतर विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों से भारी असुरक्षित ऋण।

ई) जबकि, पूर्व खोज विश्लेषण में, एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) और आई. टी. बी. ए. के पास उपलब्ध अभिलेखों को देखने पर (आयकर व्यवसाय आवेदन) यह पता चला कि आय कर (निवेश) और ओ. आर. एस. के प्रधान निदेशक।

वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया [हेमंत गुप्ता, जे.]

कंपनी मेसर्स गोवा रिक्रिएशन क्लब प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वित्तीय अवधि के दौरान

वर्ष 2016-17 ने तीन नए निदेशकों को पेश किया है

तत्कालीन निदेशक श्री रोहित गुरुभक्त शर्मा का इस्तीफा

03.03.2017 , विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः

XX

XX

XX

(च)

XX

XX

XX

(जी)

XX

XX

XX

याचिकाकर्ता के परिसर में तलाशी और जब्ती अभियान

जानकारी के आधार पर विचार किया गया और किया गया जैसा कि उपरोक्त बिंदु संख्या में समझाया गया है। ((ए) से (जी) तक

पैरा।

उपरोक्त से हालांकि यह पाया गया है कि श्री मंडालिया ने इस्तीफा दे दिया था

25.06.2016 पर कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में और ऋण

कंपनी द्वारा उसी वर्ष चुकाया गया था जैसा कि कंपनी ने देखा था

बिन्दु सं. पर दी गई तालिका। (छ) इस पैरा का लेकिन घटनाओं की श्रृंखला

द्वारा किए गए लेन-देनों पर विश्वसनीय संदेह पैदा करता है

विचाराधीन कंपनी के साथ याचिकाकर्ता क्योंकि यह परिचित कार्यप्रणाली है

प्रवेश प्रचालक द्वारा संचालन का अभ्यास किया जा रहा है।

इसलिए, पूर्वगामी पैरास से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विभाग ने तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया

सभी मानदंडों का पालन करने के बाद याचिकाकर्ता का परिसर

आयकर अधिनियम, 1961। तलाशी और जब्ती की कार्रवाई थी सूचना के विस्तृत विश्लेषण के बाद शुरू किया गया, विधिवत रिकॉर्डिंग

संतुष्टि नोट में कारण और उसी के अनुमोदन द्वारा

सक्षम अधिकारी "।

7. कंपनी को दो के साथ 28.09.2015 पर निगमित किया गया था।

निदेशक जिनके पास 10,000 शेयर हैं, प्रत्येक का अंकित मूल्य Rs.10 है। राजस्व के रुख से पता चलता है कि उक्त कंपनी ने गेमिंग और मनोरंजन के व्यवसाय में कदम रखा और बिना किसी पर्याप्त पूंजी के 29.07.2016 पर गोवा में एक कैसिनो शुरू किया। कंपनी के खिलाफ आरोप 08.11.2016 पर विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कुल Rs.13,79,10,500/की नकद जमा के संबंध में है। डी. डी. आई. टी. (जांच), इकाई-1, जलपाईगुड़ी द्वारा तैयार किए गए संतोष पत्र को आयकर (जांच) इकाई-5, कोलकाता के अतिरिक्त निदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया था और आगे डी. जी. आई. टी. (जांच), कोलकाता द्वारा 07.08.2018 पर अनुमोदित किया गया था।

टी ने न्यू द्वारा दायर एक हलफनामे के उत्तर से अनुच्छेद 4.3 का भी हवाला दिया जो इस प्रकार हैः

" 5.3 . जहां तक निवेश के अवसर का संबंध है, यह काफी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने मेसर्स गोवा रिक्रिएशन क्लब प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ब्याज पर ऋण के माध्यम से एक महीने की अवधि के भीतर 10 करोड़ रुपये का निवेश किया। लि. यह निवेश याचिकाकर्ता के कोटक महिंद्रा बैंक ए/सी नंबर 80116714807 से किया गया था और कंपनी के एचडीएफसी बैंक ए/सी नंबर 50200015405430, मेसर्स गोवा रिक्रिएशन क्लब प्राइवेट लिमिटेड में जमा किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि ऋण का भुगतान बाद वाले द्वारा 06.10.2016 से 31.03.2017 [जैसा कि बिंदु संख्या में दिखाया गया है] तक पांच किश्तों में किया गया था। (छ) पैरा 4 का]। याचिकाकर्ता द्वारा किया गया प्रत्यक्ष निवेश एक विवेकपूर्ण व्यवसायी के दृष्टिकोण से एक विवेकपूर्ण निवेश विकल्प नहीं पाया गया है क्योंकि जिस कंपनी को याचिकाकर्ता ने ऋण प्रदान किया था, उसका कोई स्थापित व्यवसाय नहीं था, न ही बाजार में कोई सद्भावना थी, न ही वह किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी, न ही याचिकाकर्ता का पहले कंपनी के साथ कोई वित्तीय लेनदेन हुआ था। ऋण का त्वरित पुनर्भुगतान दर्शाता है कि निवेश का उद्देश्य स्थिर ब्याज आय अर्जित करना नहीं था। यह सब सुझाव देता है कि निवेश और लेन-देन की प्रकृति

याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज किया गया कार्य प्रवेश संचालकों द्वारा व्यवसाय चलाने के लिए अल्प अवधि के लिए बही खाते में काला धन लाने के लिए एक आवास प्रविष्टि प्रदान करने के लिए नियोजित किए जा रहे परिचित कार्यप्रणाली के समान था, जब तक कि व्यवसाय चलाने से पर्याप्त धन या किसी अन्य से कुछ निधि उत्पन्न नहीं हो जाती।

बेनामी स्रोत बाद में आया। वह कोण है

जांच प्रक्रिया चल रही है जिसमें धन का पता चलता है

याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की जांच की जा रही है "

8. उच्च न्यायालय ने पाया कि प्राधिकरण पर विश्वास करने का कोई भी कारण धारा 132 (1) (ए), (बी) की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है और

उन्होंने कहा कि खंड इस प्रकार हैः

" 132. तलाशी और जब्ती-(1) जहां प्रधान निदेशक

जनरल या डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर या प्रिंसिपल चीफ

आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान प्रमुख

आयुक्त या आयुक्त या अतिरिक्त निदेशक या

अतिरिक्त आयुक्त, या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त के पास अपने कब्जे में जानकारी के परिणामस्वरूप, कारण है

विश्वास करते हैं कि आय कर के प्रारंभिक निदेशक (निवेश) और

. वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया [हेमंत गुप्ता, जे.]

(क) कोई भी व्यक्ति जिसे उप-धारा (1) के तहत समन भेजा जाता है।

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 37 के तहत या इस अधिनियम की धारा 131 की उप-धारा (1) के तहत या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 22 की उप-धारा (4) के तहत या इस अधिनियम की धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत नोटिस जारी किया गया था। लेखा या अन्य दस्तावेजों ने ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को छोड़ दिया है या पेश करने में विफल रहे हैं, या पेश करने का कारण बने हैं।

जैसे कि ऐसे समन या नोटिस द्वारा आवश्यक है, या

(ख) कोई भी व्यक्ति जिसे उपरोक्त समन या नोटिस भेजा गया हो। जारी किया गया या जारी किया जा सकता है, किसी भी लेखा पुस्तक या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करेगा या पेश नहीं करेगा जो

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तहत या इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो, या

(ग) किसी व्यक्ति के पास कोई धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु है और ऐसा धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से आय या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिसका खुलासा भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या इस अधिनियम (इसके बाद इस धारा में अप्रकाशित के रूप में संदर्भित) के प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया है या नहीं किया जाएगा।

आय या संपत्ति)।

इस उप-धारा के तहत, किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को इसका खुलासा नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण।

9. राजस्व की ओर से तर्क देते हुए भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण को रद्द करने के लिए खुद को पूरी तरह से निर्देशित किया है क्योंकि न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। यह माना गया कि उच्च न्यायालय ने कानून में यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि अधिनियम की धारा 132 (1) के खंड (बी) सी को दर्ज करने पर संतुष्ट नहीं किया जाता है।

देर:

" 16 ..... इस प्रकार, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है, यह विश्वास कि याचिकाकर्ता धारा 132 की उप धारा (1) के खंड (बी) के तहत परिकल्पित रूप से जारी किए गए समन या नोटिस का जवाब नहीं देगा, किसी भी जानकारी या [2022] 15 एस. सी. आर. पर आधारित नहीं है।

अन्य सामग्री लेकिन अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है कि याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं की ओर से अधिकार क्षेत्र की कमी का बहाना लेगा। प्रथम प्रत्यर्थी का यह तर्क याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए इस तर्क का भी समर्थन करता है कि अधिनियम की धारा 132 के तहत शक्तियों का सहारा लिया गया है

क्योंकि यही एकमात्र प्रावधान है जो अधिकार क्षेत्र में निहित है

याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोलकाता के अधिकारी।

इसलिए, स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत परिकल्पित परिस्थिति में मौजूद नहीं है -

वर्तमान मामला। 17 ..... अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का कोई विश्वास बनाया गया है कि याचिकाकर्ता के पास कोई धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु है जिसका खुलासा उसने अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नहीं किया होगा। इसके विपरीत, वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रतिवादियों के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले के रिकॉर्ड से, यह स्पष्ट है कि ऋण लेनदेन जिसके लिए याचिकाकर्ता ने अग्रिम भुगतान किया था।

Rs.10,00,00,000/- उधारकर्ता कंपनी को याचिकाकर्ता की लेखा पुस्तकों में विधिवत प्रतिबिंबित किया गया है। आय की वापसी में,

याचिकाकर्ता ने इस तरह से ब्याज आय को विधिवत दिखाया है

लेन-देन। ऐसी ब्याज आय के संबंध में स्रोत पर काटे गए कर को संबंधित प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के खाते में जमा कर दिया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा पूरे लेनदेन का खुलासा किया गया है। अभिलेख पर ऐसी कोई अन्य सामग्री नहीं है जिसके आधार पर उत्तरदाता यह विश्वास बना सकते थे कि

धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के तहत विचार किया गया

अधिनियम से। जाहिर है, इसलिए अधिनियम की धारा 132 (1) के खंड (सी) के तहत परिकल्पित परिस्थिति भी इसमें मौजूद नहीं है -

वर्तमान मामला "।

10. श्री बलबीर सिंह ने इस न्यायालय के फैसलों का उल्लेख किया

एन. के. ज्वेलर्स एंड अदर वी. नई दिल्ली के आय आयुक्त, आयकर आयुक्त, इलाहाबाद और अन्य। ध्य धातु निगम और अन्य। , आयकर अधिकारी, स्पेशल टाइगेशन सर्कल-बी, मेरठ बनाम। सेठ ब्रदर्स और ओआरएस। और निर्देशक

7) 5 एस. सी. सी. 321

9) 2 एस. सी. सी. 324 आय कर (निवेश) और ओ. आर. एस. के प्रधान निदेशक। वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया [हेमंत गुप्ता, जे.]

आयकर महानिदेशक (जांच), पुणे और अन्य। वी. स्पेसवुड फर्निशर्स प्राइवेट लिमिटेड और Ors.³ ने तर्क दिया कि हालांकि यह खुला है

इस प्रश्न की जांच करने के लिए कि क्या "विश्वास करने के कारणों" का विश्वास के निर्माण के साथ कोई तर्कसंगत संबंध या प्रासंगिक संबंध है और क्या ऐसे कारण बाहरी या अप्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि अधिकारी को अदालत में विश्वास करने के कारणों पर सवाल उठाए जाने की स्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ता है, हालांकि, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कारणों के अस्तित्व की जांच करना है न कि उनकी वैधता की।

कानून के स्थापित सिद्धांत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत वर्तमान अपील में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है। श्री दातार निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया गया है, अर्थात्, सेठ ब्रदर्स और ओआरएस। आदि। ; विंध्य धातु निगम और अन्य; अजीत जैन बनाम। भारत संघ ', भारत संघ बनाम। अजीत जैन और Anr.¹, डिमोंडस्टार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड v. आय महानिदेशक-कर (जांच) ", एम. ई. सी. टी. ई. सी. बनाम. आय निदेशक-कर (जांच) ", एल. आर. गुप्ता और अन्य। वी. भारत संघ & Ors.¹³ और जनक राज शर्मा बनाम। निरीक्षण निदेशक

(जाँच) और Ors.¹4।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और पाया है कि उच्च न्यायालय का यह विचार कि निर्धारिती के परिसरों की तलाशी लेने का अधिकार अमान्य है, कायम नहीं रखा जा सकता है। "विश्वास करने के कारण" अभिव्यक्ति कई कानूनों का एक घटक है जैसे कि अधिनियम या इसके पूर्ववर्ती क़ानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आय के पुनर्मूल्यांकन के मामले में; विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम,

8 (2015) 12 एस. सी. सी. 179 9 (2000) 242 आई. टी. आर. 302 (दिल्ली) 10 (2003) 260 आई. टी. आर. 80 (अनुसूचित जाति) 11 (2005) 278 आईटीआर 36 (बम.) 1 2 12 (2021) 433 आईटीआर 203 (तेलंगाना) 1 3 (1991) एससीसी ऑनलाइन डेल। 584 : (1992) 194 आईटीआर 32 (डेल.) 14 (1995) 215 आईटीआर 234 (पी एंड एच)

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साथ ही मामले में राजस्व की कार्रवाई के संबंध में

एच और सीज़र।

13. एस. नारायणप्पा बनाम। सी. आई. टी., 1 5 15 के लिए पुनर्मूल्यांकन का मामला

इस कारण से कि आय निर्धारण से बच गई थी, इस न्यायालय ने माना कि न्यू के पास यह मानने का कारण होना चाहिए कि आय, लाभ या लाभ

आयकर का कम आकलन किया गया था। न्यायालय ने कहा कि

:

" 2. .... लेकिन कानूनी स्थिति यह है कि यदि वास्तव में कुछ हैं

आयकर अधिकारी के लिए यह विश्वास करने के लिए उचित आधार कि

किसी भी तथ्य के संबंध में कोई खुलासा नहीं किया गया था, जो

कम मूल्यांकन के प्रश्न पर एक सामग्री असर हो सकता है

जो आयकर को अधिकार क्षेत्र देने के लिए पर्याप्त होगा।

धारा 34 के तहत नोटिस जारी करने वाला अधिकारी। क्या ये

आधार पर्याप्त हैं या नहीं, यह अदालत के लिए मामला नहीं है

जाँच करें। दूसरे शब्दों में, आधारों की पर्याप्तता जिसने आयकर अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया, वह न्यायसंगत नहीं है

विश्वास के कारण। फिर से अभिव्यक्ति "कारण" आयकर अधिनियम की धारा 34 में विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि

आयकर की ओर से विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक संतुष्टि

अधिकारी। इस विश्वास को अच्छे विश्वास में रखा जाना चाहिएः यह सिर्फ नहीं हो सकता है

एक दिखावा। इसे अलग तरीके से कहें तो यह अदालत के लिए जांच करने के लिए खुला है

सवाल यह है कि क्या विश्वास के कारणों में तर्कसंगत है

विश्वास के गठन के लिए संबंध या प्रासंगिक असर और धारा के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक या अप्रासंगिक नहीं हैं। को।

इस सीमित सीमा तक, शुरू में आयकर अधिकारी की कार्रवाई अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही को चुनौती दी जा सकती है।

कानून की अदालत। (कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड बनाम देखें। आय कर अधिकारी, कंपनी जिला I, कलकत्ता [41 आई. टी. आर. 191]

XXX

XXX

XXX

रिकॉर्डिंग के लिए कार्यवाही का प्रारंभिक चरण

4. ..... आयकर अधिकारी के कारणों और प्राप्त करने के लिए

आयुक्त की मंजूरी प्रशासनिक होती है।

1967 एस. सी. 523 आय कर (निवेश) और ओ. आर. एस. के प्रधान निदेशक। वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया [हेमंत गुप्ता, जे.]

अधिनियम यह है कि, यदि मुख्य धारा की शर्तों को पूरा किया जाता है निर्धारिती को सभी या किसी भी आवश्यकता वाली सूचना जारी की जानी चाहिए जिसे उप-धारा के तहत सूचना में शामिल किया जा सकता है।

(2) धारा 22। .....

14. सेठ ब्रदर्स को राजस्व और निर्धारिती दोनों द्वारा तलाशी और जब्ती के कार्य से संबंधित संदर्भित किया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शक्ति का प्रयोग करदाता के अधिकारों, गोपनीयता और स्वतंत्रता पर एक गंभीर आक्रमण है। शक्ति का प्रयोग सख्ती से कानून के अनुसार और केवल उन उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए कानून इसे प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है।

उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया था कि आयकर अधिकारी द्वारा वास्तव में बनाई गई राय की शुद्धता एक रिट में जांच के लिए खुली नहीं थी

याचिका, लेकिन आयकर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों से अधिक किए गए दस्तावेजों और लेखा पुस्तकों की तलाशी और जब्ती दुर्भावनापूर्ण थी। इस न्यायालय ने संबंधित आयकर अधिकारियों द्वारा शपथ पत्रों को देखते हुए इस तरह के निष्कर्ष में कोई योग्यता नहीं पाई कि उन्होंने वास्तव में अधिनियम की धारा 132 के तहत अपेक्षित राय बनाई थी। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया, जब इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 8. यह धारा किसी भी मनमाने अधिकार को प्रदान नहीं करती है

राजस्व अधिकारी। आयुक्त या निदेशक सूचना के परिणामस्वरूप, निरीक्षण में यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि खोज का आदेश देने की शक्ति के प्रयोग के लिए वैधानिक शर्तें मौजूद हैं। उसे विश्वास के कारणों को दर्ज करना चाहिए और उसे एक नामित अधिकारी के पक्ष में एक प्राधिकरण जारी करना चाहिए

परिसर की खोज करें और उसमें निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करें।

यदि प्राधिकरण जारी करने वाले अधिकारी की कार्रवाई,

अदालत से नीचे। यदि शक्ति के प्रयोग के लिए शर्तें संतुष्ट नहीं हैं तो कार्यवाही रद्द की जा सकती है। लेकिन कहाँ?

शक्ति का प्रयोग ईमानदारी से किया जाता है, और आगे बढ़ने में

कर अधिकारियों के वैधानिक कर्तव्यों पर निर्णय की कोई त्रुटि अधिकारियों का हिस्सा अभ्यास को दूषित नहीं करेगा

शक्ति। जहाँ आयुक्त अपेक्षित विश्वास को स्वीकार करता है।

और उनके द्वारा दर्ज किए गए कारणों के लिए एक नामित [2022] 15 एस. सी. आर. को अधिकृत करता है।

और किसी भी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक या उपयोगी दस्तावेज अधिनियम, न्यायालय एक व्यथित व्यक्ति की याचिका में नहीं कर सकता है

अपनी राय को प्रतिस्थापित करने के लिए कहा जाए कि क्या कोई आदेश

अधिकृत खोज जारी की जानी चाहिए थी। फिर से, किसी भी

के अनुसरण में कार्य करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिबद्ध की गई कार्रवाई को दूषित करने के लिए प्राधिकरण पर्याप्त नहीं होगा।

बशर्ते कि अधिकारी ने प्राधिकरण को निष्पादित करने में कार्य किया हो

ईमानदारी से।

XXX

XXX

XXX

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका का तरीका आयकर अधिकारियों द्वारा अनुसरण में कोई भी जांच की गई थी

उनके द्वारा की गई कार्रवाई। उचित मामलों में एक रिट याचिका

शक्ति की अनुपस्थिति या इस दलील पर कि कार्यवाही की गई थी दुर्भावनापूर्ण रूप से या संपार्श्विक उद्देश्य के लिए।

15. आयकर अधिकारी, 1 वार्ड, जिला 6, कलकत्ता

और ओआरएस। वी. लखमनी मेवाल दास ", यह न्यायालय जाँच कर रहा था

मूल्यांकन को फिर से खोलने के संदर्भ में "विश्वास करने का कारण" अभिव्यक्ति का दायरा इस आधार पर कि आय मूल्यांकन से बच गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए आयकर अधिकारी की शक्तियां, हालांकि व्यापक हैं, लेकिन पूर्ण नहीं हैं। क़ानून के शब्द "विश्वास करने का कारण" हैं न कि "संदेह करने का कारण"। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय सामग्री की पर्याप्तता या पर्याप्तता में नहीं जा सकता है और

इस मुद्दे पर आयकर अधिकारी की राय को प्रतिस्थापित करें कि क्या मूल्यांकन को फिर से शुरू करने के लिए कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही, यह कोई भी और हर सामग्री नहीं है, चाहे वह अस्पष्ट और अनिश्चित हो या दूर का, दूर का और दूर का, जो निर्धारण से निर्धारिती की आय के पलायन से संबंधित विश्वास के गठन की गारंटी देगा। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 11. जैसा कि पहले कहा गया है, विश्वास के गठन के कारण के साथ एक तर्कसंगत संबंध या प्रासंगिक असर होना चाहिए

विश्वास का निर्माण। तर्कसंगत संबंध अभिधारणाएँ

कि दोनों के बीच एक सीधा संबंध या लाइव लिंक होना चाहिए

आयकर अधिकारी के ध्यान में आने वाली सामग्री और

16 (1976) 3 एस. सी. सी. 757 आय कर के प्रारंभिक निदेशक (निवेश) और वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया [हेमंत गुप्ता, जे.]

उनके विश्वास का गठन कि पलायन हुआ है विशेष में निर्धारण से निर्धारिती की आय

वर्ष पूरी तरह से और सही मायने में सभी का खुलासा करने में उनकी विफलता के कारण

भौतिक तथ्य। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत सामग्री और प्रतिस्थापन की पर्याप्तता या पर्याप्तता में नहीं जा सकती है। इस पर आयकर अधिकारी की अपनी राय

इंगित करें कि क्या फिर से खोलने के लिए कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए

मूल्यांकन। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह कोई भी और हर सामग्री नहीं है, चाहे वह अस्पष्ट और अनिश्चित हो या दूर का, दूर का और दूर का, जो आय के पलायन से संबंधित विश्वास के निर्माण की गारंटी देगा।

मूल्यांकन से निर्धारिती का। इसका कारण

12. आकलन को फिर से खोलने के लिए आयकर अधिकारी की शक्तियां व्यापक होने के बावजूद पूर्ण नहीं हैं। क़ानून के शब्द "विश्वास करने का कारण" हैं न कि "संदेह करने का कारण"। कई वर्षों के अंतराल के बाद मूल्यांकन एक गंभीर मामला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम मूल्यांकन को फिर से खोलने पर विचार करता है यदि यह विश्वास करने के लिए आधार मौजूद हैं कि निर्धारिती की आय मूल्यांकन से बच गई है। इसका मूल कारण यह है कि

छिपी हुई आय या अन्य आय के बचने के उदाहरण

आकलन पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में मामलों में मूल्यांकन आयकर अधिकारियों के ध्यान में आता है। इस संबंध में अधिनियम के प्रावधान सामान्य नियम से अलग हैं कि अपील और संशोधन के अधिकार के अधीन, न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में किए गए आदेशों के बारे में अंतिमता होनी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि इस तरह की कार्रवाई करने से पहले

कानून की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। लाइव लिंक या बंद करें

वर्तमान मामले में आयकर अधिकारी के समक्ष सामग्री और निर्धारिती की विफलता के कारण निर्धारण से आय के पलायन के संबंध में उस विश्वास के बीच जो संबंध होना चाहिए, या

सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में चूक थी मामले में गायब।

16. प्रताप सिंह (डॉ.) बनाम। प्रवर्तन निदेशक ", यह टी विदेशी के तहत खोज और जब्ती की कार्रवाई पर विचार कर रहा था

विनिमय विनियमन अधिनियम, 1973। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब प्रवर्तन विभाग का कोई अधिकारी धारा 37 के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव करता है, तो उसके पास यह मानने का कारण होना चाहिए कि अधिनियम के तहत जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी दस्तावेज गुप्त हैं। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कारण पर्याप्त होने चाहिए कि

आय छूट निर्धारण और यह कि न्यायालय उन कारणों की पर्याप्तता या पर्याप्तता की जांच कर सकता है जिनके आधार पर आयकर अधिकारी अभिनय किया है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 9. जब प्रवर्तन विभाग का कोई अधिकारी प्रस्ताव देता है

धारा 37 के तहत कार्य करने के लिए निस्संदेह, उसके पास कारण होना चाहिए

ऐसा मानना है कि जांच के लिए उपयोगी दस्तावेज या

अधिनियम के तहत कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। वह सामग्री जिस पर

विश्वास आधारित है जो गुप्त हो सकता है, इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है

बुद्धि या कभी-कभी मौखिक रूप से व्यक्त की जा सकती है

सूचना देने वाले।

न्यायालय ने शर्तों में अभिनिर्धारित किया कि क्या ये आधार हैं

पर्याप्त है या नहीं, यह अदालत के लिए जाँच करने का विषय नहीं है।

10. "विश्वास करने का कारण" अभिव्यक्ति का पर्याय नहीं है

अधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि। विश्वास होना चाहिए

सद्भावना से; यह केवल एक दिखावा नहीं हो सकता है। उसी में

मामला, यह माना गया था कि यह अदालत के लिए जांच करने के लिए खुला है

सवाल यह है कि क्या विश्वास के कारणों में तर्कसंगत है

विश्वास के गठन के लिए संबंध या प्रासंगिक असर और के उद्देश्य के लिए बाहरी या अप्रासंगिक नहीं हैं

अनुभाग। इस सीमित सीमा तक आयकर अधिकारी की कार्रवाई

धारा 34 के तहत कार्यवाही शुरू करने में चुनौती देने के लिए खुला है

प्रस्तुतिकरण का अंतिम भाग

कानून की अदालत।
हमें सराहना नहीं करता है क्योंकि फ़ाइल पहले बनाई गई थी

हम और जैसा कि पहले कहा गया है, तलाशी वारंट जारी करने वाला अधिकारी

ऐसी सामग्री थी जिसके लिए उन्होंने उचित रूप से पर्याप्त होने का दावा किया था

तलाशी वारंट जारी करने के लिए उचित विश्वास बनाना।

XXX

XXX

XXX

14. यह मानते हुए कि कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य था

तलाशी का निर्देश देने से पहले, अदालत को प्रस्तुत की गई फाइल

स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इससे पहले पर्याप्त सामग्री थी
अधिकारी एक उचित विश्वास बनाने के लिए जिसने उसे निर्देश देने के लिए प्रेरित किया

खोज करते हैं।

कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज़ आय कर (निवेश) और ओ. आर. एस. के प्रमुख निदेशक नहीं थे। वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया [हेमंत गुप्ता, जे.]

आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारी को पर्याप्त सामग्री प्रदान नहीं कर सकते हैं यह मानने के लिए एक आधार हो कि जिन आधारों ने प्रेरित किया

उचित विश्वास या तो काल्पनिक या काल्पनिक या दुर्भावनापूर्ण थे। संजोए हुए।

XXX

XXX

XXX

16. इस संबंध में, अपीलार्थी ने आगे तर्क दिया कि यदि तलाशी

अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वास्तविक या प्रामाणिक था, यह आश्चर्य की बात है कि जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष था,

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रस्तुत किया कि वह नहीं चाहता है

इस दौरान जब्त की गई सामग्री के संबंध में कोई आगे की कार्रवाई करें

खोज करते हैं। इस दावे के लिए कोई वारंट नहीं है कि हर खोज इसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक सामग्री जब्त की जानी चाहिए। इस तरह का तरीका

जिन मामलों में खोज विफल हो सकती है या एक उचित स्पष्टीकरण हो सकता है दस्तावेजों का सम्मान आने वाला हो सकता है।

99

17. इस अदालत ने एक फैसले में फूल चंद बजरंग के रूप में रिपोर्ट किया

लाल और अन्र। वी. आयकर अधिकारी और Anr.[1]8 18 जाँच कर रहे थे पहले से निर्धारित आयकर के पुनर्मूल्यांकन के उद्देश्य से दर्ज किए जाने वाले कारण। यह केवल आयकर अधिकारी की जानकारी में आने वाली विशिष्ट, विश्वसनीय और प्रासंगिक जानकारी के आधार पर था।

बाद में, उसके पास ऐसे कारण हैं जिन्हें दर्ज किया जाना चाहिए, यह विश्वास करने के लिए कि

निर्धारिती की ओर से अपने मूल्यांकन के दौरान आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों का सही और पूर्ण प्रकटीकरण करने में चूक या विफलता के कारण

निष्कर्षित निर्धारण कार्यवाहियों में, उसकी आय, लाभ या आय कर के लिए प्रभार्य लाभ का कोई भी हिस्सा निर्धारण से बच गया है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 25 ..... चूँकि यह विश्वास आयकर अधिकारी का है, विश्वास बनाने के कारणों की पर्याप्तता के लिए नहीं है

न्यायपीठ न्याय करबाक लेल अछि मुदा एकर स्थापना करबाक लेल निर्धारिती खुला अछि।

कि वास्तव में कोई विश्वास मौजूद नहीं था या यह विश्वास नहीं था

सभी प्रामाणिक थे या अस्पष्ट, अप्रासंगिक और

गैर-विशिष्ट जानकारी। उस सीमित सीमा तक, न्यायालय आयकर अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पर गौर करें और

जाँच करें कि क्या अभिलेख पर कोई सामग्री उपलब्ध थी जिनसे अपेक्षित विश्वास आय द्वारा बनाया जा सकता है

कर अधिकारी और आगे क्या उस सामग्री में कोई तर्कसंगत था

आवश्यक विश्वास के निर्माण के लिए कनेक्शन या एक लाइव लिंक। अगर बाद की जानकारी के आधार पर, आयकर अधिकारी दोनों को संतुष्ट करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या आयकर अधिकारी मूल आकलन करते समय आगे की जांच या जांच से यह पता लगा सकता था कि लेन-देन वास्तविक था या नहीं। अधिनियम की धारा 147 (ए) में निर्धारित शर्तें, कि निर्धारिती ने मूल मूल्यांकन के समय भौतिक तथ्यों का पूर्ण और सही प्रकटीकरण नहीं किया था और इसलिए आय -

कर निर्धारण से बच गया था।

18. इस न्यायालय ने एक निर्णय में एन के रूप में रिपोर्ट किया। नागेंद्र राव एंड कंपनी बनाम ए. पी. राज्य ", आवश्यक के प्रावधानों की जांच कर रहा था

वस्तु अधिनियम, 1955। यह न्यायालय अधिनियम के उद्देश्य, तलाशी, जब्ती और जब्ती से संबंधित प्रावधानों और उनकी शक्तियों की प्रकृति और यह निर्धारित करने में सहायता करने के लिए अपने प्रयोग के तरीके पर विचार कर रहा है कि क्या वैधानिक अधिकारी स्टॉक को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

" 5. ....."विश्वास करने का कारण" अभिव्यक्ति की गई है इस न्यायालय द्वारा व्याख्या का अर्थ यह है कि भले ही राय का गठन व्यक्तिपरक हो, लेकिन यह सामग्री पर आधारित होना चाहिए

रिकॉर्ड में। यह मनमाना, मनमौजी या सनकी नहीं हो सकता है। इस प्रकार, यह माल को जब्त करने के लिए शक्ति के प्रयोग पर एक रोक है। जब्ती के बाद की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 6-ए द्वारा प्रदान की जाती है।

. लेकिन जिस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता है वह यह है कि

शक्ति बहुत व्यापक है क्योंकि नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है न केवल गंभीर परिणामों के साथ दौरा किया जाना

जब्त माल, पैकेज या पोत या वाहन की जब्ती

जो ऐसी आवश्यक वस्तु पाई जाती है या पहुँचाई जाती है या ले जाई जाती है,

लेकिन धारा 7 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है

अधिनियम, यह इसमें निहित है कि जिन्हें सौंपा गया है इसे लागू करने की जिम्मेदारी तर्कसंगतता के साथ काम करनी चाहिए,

निष्पक्षता और अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को बढ़ावा देना।

इसके अलावा, यह नहीं भूलना चाहिए कि जब्त किया गया माल है

जब कलेक्टर संतुष्ट हो तभी जब्त किया जा सकता है

नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन। खंड की भाषा और

इसकी सेटिंग इंगित करती है कि प्रत्येक उल्लंघन को लागू नहीं किया जा सकता है

19 (1994) 6 एस. सी. सी. 205 आय कर (निवेश) और ओ. आर. एस. के प्रधान निदेशक। वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया [हेमंत गुप्ता, जे.]

जब्त करना। यही कारण है कि इस खंड में 'मे' शब्द का उपयोग किया गया है। कालाबाजारी में लिप्त या मिलावटी सामान आदि बेचने वाले व्यापारी के साथ, किसी भी उल्लंघन के अभाव में, तकनीकी उल्लंघन जैसे कि मूल्य-सूची रखने में विफलता आदि के बराबर व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

या यहाँ तक कि स्टॉक में विसंगतियाँ "।

19. भारत संघ के रूप में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में v. अग्रवाल आयरन इंडस्ट्रीज 20 यह देखा गया कि यह समझना मुश्किल है कि राजस्व द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे में इनकार को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निहितार्थ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि कोई कारण नहीं था

तलाशी और जब्ती के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और इसलिए, अधिनियम की धारा 132 के तहत की गई कार्रवाई अवैध थी। यदि आवश्यक हो तो प्रासंगिक गोपनीय फाइल को बुलाया जा सकता था और उसकी जांच की जा सकती थी। काउंटर-एफिडेविट में राजस्व को उन सूचनाओं और विवरणों को स्पष्ट करने और पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी जो खोज की नींव बनाते थे। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वारंट जारी करने के लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति की राय के आधार पर तलाशी और जब्ती जारी करना एक अंतरिम उपाय के माध्यम से किया गया था। तलाशी और जब्ती को जब्ती के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 10. अधिनियम की धारा 132 (1) में निहित प्रावधान सक्षम प्राधिकारी को तलाशी और जब्ती जारी करने का निर्देश देने में सक्षम बनाता है

एक राय के गठन के आधार पर जो एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बनाएगा -

वारंट जारी करें। यह एक अंतरिम उपाय के माध्यम से किया जाता है। तलाशी और जब्ती ज़ब्ती नहीं है। जिन वस्तुओं को जब्त किया गया है, वे उस व्यक्ति को सुनने का अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच का विषय हैं, जिसकी हिरासत में इसे जब्त किया गया है। उपयोग किए गए शब्द "विश्वास करने का कारण" हैं। सक्षम प्राधिकारी ने किसी स्वीकार्य सामग्री के आधार पर राय बनाई थी या नहीं, जैसा कि स्पष्ट है, उच्च न्यायालय ने दूर से भी कारणों को देखने की कोशिश नहीं की है। कहने की जरूरत नहीं है कि फाइल पर कारणों को दर्ज किया जा सकता है और अदालत फाइल की जांच कर सकती है और यह पता लगा सकती है कि क्या प्राधिकरण

एक के गठन के कारणों को उचित रूप से दर्ज किया है

राय है कि खोज करने के लिए विश्वास करने के कारण हैं

और ज़ब्त। जैसा कि अजेय है, उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से

पर खोज और जब्ती को रद्द करने में खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया

गैर-पारगमन के सिद्धांतों का आधार।

20 (2014) 15 एससीसी 215 [2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. यह अदालत स्पेसवुड फर्निशर्स में एक अन्य फैसले में

टी. डी. उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसने हस्तक्षेप किया था

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई।

एस निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 12. वर्तमान मामले में संतुष्टि नोट (ओं)

प्रत्यर्थी के खिलाफ प्राधिकरण का वारंट जारी करना

निर्धारिती को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था। जैसा कि दिखाई देता है

विवादित आदेश से [स्पेसवुड फर्निशर्स (पी) लिमिटेड v. डीजी

आयकर विभाग, 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1610: (2012) 340 आईटीआर

393] इसकी सामग्री को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत किया गया था

उच्च न्यायालय। उक्त संतुष्टि पत्र भी रखे गए हैं।

हमारे सामने। संतुष्टि नोट (ओं) वाली फाइल का अवलोकन

इंगित करें कि 8-6-2009 पर आयकर के सहायक निदेशक

(जाँच), नागपुर ने एक विस्तृत नोट तैयार किया था जिसमें लिखा था

कई कारणों से उन्होंने इसे उचित क्यों माना था मान लें कि यदि प्रतिवादी को समन या नोटिस जारी किया गया था

आवश्यक लेखा बहियों और दस्तावेजों का उत्पादन करने के लिए,

उसी का उत्पादन नहीं किया जाएगा। सहायक निदेशक ने भी रिकॉर्ड किया विस्तृत कारणों से वह यह विश्वास करने के कारणों का मनोरंजन करता है कि

प्रत्यर्थी निर्धारिती कंपनी के प्रवर्तक पाए जाएंगे

धन, सर्राफा, आभूषण आदि के कब्जे में होना।

आंशिक या पूर्ण आय का प्रतिनिधित्व करता है जिसका खुलासा नहीं किया गया है अधिनियम के प्रयोजनों के लिए।

XX

21. आई. टी. ओ. बनाम में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के आलोक में। सेठ ब्रदर्स। [आई. टी. ओ वी. सेठ ब्रदर्स। , (1969) 2 एससीसी 324: (1969) 74 आईटीआर 836]

और पूरन मल [पूरन मल बनाम। निरीक्षण निदेशक (जाँच) (1974) 1 एस. सी. सी. 345: 1974 एससीसी (कर) 114: (1974)

93 आई. टी. आर. 505], उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त उपरोक्त राय है

1-10-1975 से प्रभावी नियम 112 (2) का संशोधन है इस न्यायालय द्वारा बार-बार जोर दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

निर्णय लेने की प्रक्रिया में उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व।

कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता भी एक कुशन के रूप में कार्य करती है।

कानूनी चुनौती की घटना को संतुष्टि के लिए बनाया जा रहा है

राजस्व द्वारा लिया गया निर्णय। हालाँकि, उपरोक्त, अपने आप में, निर्धारिती को आय कर (निवेश) और ओ. आर. एस. के प्रधान निदेशक के निरीक्षण का अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया [हेमंत गुप्ता, जे.]

दस्तावेज या प्राधिकरण जारी करने के चरण में विश्वास के कारणों का संचार। इस तरह का कोई भी दृष्टिकोण अधिनियम की धारा 132 द्वारा विचार की गई पूरी कवायद के प्रतिकूल होगा। तलाशी और जब्ती, यदि कोई हो, के पूरा होने के बाद मूल्यांकन कार्यवाही शुरू होने के चरण में ही आवश्यक सामग्री का खुलासा करना पड़ सकता है।

मूल्यांकनकर्ता।

22. इस स्तर पर हम यह कहना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा प्राप्त संतुष्टि के कारणों वाले संतुष्टि पत्रों की सामग्री को बहुत विस्तार से पुनः प्रस्तुत करने में एक गंभीर त्रुटि की थी। हम पहले से ही

उस समय और चरण का संकेत दिया जिस पर दर्ज किए गए कारण हो सकते हैं निर्धारिती के ध्यान में लाया जाना आवश्यक है। उपरोक्त के आलोक में, हम उपरोक्त भाग का अनुमोदन नहीं कर सकते हैं

उच्च न्यायालय द्वारा की गई कवायद जिसे हम अत्यधिक अपरिपक्व समझेंगे; निर्धारिती को अनुचित लाभ प्रदान करने की क्षमता रखने से राजस्व के प्रयास को निराशा होती है, भले ही उच्च न्यायालय अंततः हस्तक्षेप न करे।

निर्धारिती के पक्ष में "।

रुपये की नकद राशि के बारे में अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण। 30 जी. आर. पी. द्वारा पाए गए और अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए लाखों रुपये पर विश्वास नहीं किया गया है और इसे आय के रूप में माना गया है जो इसके द्वारा बनाए गए खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं है। विंध्य मेटल कॉर्प में। , इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया था कि सूचना पर

आयुक्त के कब्जे में, कोई भी उचित व्यक्ति यह विश्वास नहीं रख सकता था कि निर्धारिती के कब्जे में राशि आय का प्रतिनिधित्व करती है जो उसके द्वारा अधिनियम के उद्देश्य के लिए प्रकट नहीं की गई होगी।

22. अजीत जैन के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला उस मामले के तथ्यों पर है लेकिन कहा गया कानून विवाद में नहीं है। उच्च न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों पर खोज के कार्य को अमान्य पाया। उस मामले में, यह पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 133-ए के तहत एक सर्वेक्षण किया गया था चाहे रुपये की नकदी। 8.6 कंपनी के खातों में लाखों रुपये दिखाई दिए। प्राधिकरण जारी करने में प्रत्यर्थी संख्या 4 की कार्रवाई

अधिनियम की धारा 132 (1) के तहत और रुपये की जब्ती।

इस आधार पर कि ए. एस. आई. पर अभिलेख पर कोई "जानकारी" नहीं है जिसके बारे में प्रतिवादी संख्या 4 यह विश्वास पैदा कर सकता है कि याचिकाकर्ता से बरामद की गई उक्त राशि पूरी तरह या आंशिक रूप से आय का प्रतिनिधित्व करती है।

एन के उद्देश्य के लिए खुलासा नहीं किया गया था या नहीं किया गया होगा

सी. टी., धारा 132 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त

ई अधिनियम। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" इस प्रकार, धारा 132 के तहत कार्रवाई को अधिकृत करने के लिए, शर्तें

मिसाल इस प्रकार हैं: ((i) नामित व्यक्ति के कब्जे में जानकारी

प्राधिकरण; और (ii) जिसके परिणामस्वरूप उसके पास कारण हो सकता है

यह विश्वास करना कि संबंधित व्यक्ति के पास धन है, सर्राफा आदि जो पूर्ण या आंशिक रूप से आय का प्रतिनिधित्व करता है

अधिनियम के उद्देश्य के लिए इसका खुलासा नहीं किया गया है या नहीं किया जाएगा। यदि इनमें से कोई भी शर्त गायब है या उसका पालन नहीं किया गया है

तब धारा 132 के तहत शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, धारा 132 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग का आधार होना चाहिए

विश्वास और विश्वास का निर्माण इसके आधार पर किया जाना चाहिए

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचना की प्राप्ति कि व्यक्ति है

धन आदि का कब्जा जो अघोषित आय का प्रतिनिधित्व करता है।

" सूचना ", जिसके परिणामस्वरूप महानिदेशक या

मुख्य आयुक्त आदि, जैसा भी मामला हो, अपने

विश्वास न केवल प्रामाणिक होना है बल्कि जन्म देने में सक्षम होना है

यह निष्कर्ष निकालना कि किसी व्यक्ति के पास धन आदि है

अधिनियम के उद्देश्य के लिए खुलासा नहीं किया गया था या नहीं किया जाएगा। में। दूसरे शब्दों में, इसे अनिवार्य रूप से सामग्री के साथ जोड़ा जाना चाहिए

अनुभाग में उल्लिखित।

XXX

XXX

अब तक यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जबकि पर्याप्तता या अन्यथा

सूचना की जाँच न्यायालय द्वारा रिट अधिकार क्षेत्र में नहीं की जा सकती है,

सूचना का अस्तित्व और इसके गठन के लिए इसकी प्रासंगिकता यह विश्वास न्यायिक जांच के लिए खुला है क्योंकि यह आधार है

की गंभीर शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती स्थिति

किसी निजी संपत्ति या व्यक्ति की तलाशी, उल्लंघन को रोकने के लिए

एक नागरिक की निजता.. लेकिन अदालत जांच कर सकती है

क्या विश्वास के कारणों का कोई तर्कसंगत संबंध है या

विश्वास और खोज वारंट के गठन के लिए प्रासंगिक असर

केवल घुमक्कड़ बनाने की दृष्टि से जारी नहीं किया जा सकता था या मछली पकड़ने की पूछताछ।

आय कर (निवेश) और ओ. आर. एस. के प्रधान निदेशक। वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया [हेमंत गुप्ता, जे.]

अधिनियम की धारा 132 और 148 पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न निर्णयों में 'विश्वास करने का कारण' अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई है। यह माना गया है कि "विश्वास करने का कारण" शब्द का अर्थ है कि एक समझदार व्यक्ति, परिस्थितियों में, एक विश्वास बनाएगा जो उसे कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा। राय का गठन अच्छा होना चाहिए। विश्वास और केवल
दिखावा पर नहीं। अधिनियम की धारा 132 के उद्देश्य के लिए, दोनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

जानकारी या सामग्री और अघोषित आय के बारे में विश्वास, जिसका व्यक्ति द्वारा खुलासा नहीं किया गया है और जिसके होने की संभावना नहीं है चिंतित हैं। "

23. श्री दातार द्वारा जिन उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भरोसा किया गया, वे मुख्य रूप से संबंधित मामले के तथ्यों पर हैं, लेकिन इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए, हम ऐसे निर्णयों पर चर्चा करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं।

यहाँ।

24. विस्तृत संतुष्टि नोट में सरजू शर्मा और अन्य की लेखा पुस्तकों में कई प्रविष्टियाँ दिखाई देती हैं। जिस तरह से सरजू शर्मा, जो या तो सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में थीं या गोवा में थीं, अहमदाबाद में करदाता से Rs.10 करोड़ के ऋण के लिए संपर्क कर रही थीं, वह एक सामान्य लेनदेन प्रतीत नहीं होता है। बंधक के बाद के पुनर्भुगतान और संबंधित निर्धारण वर्ष में परिलक्षित ब्याज आय, निर्धारिती द्वारा वास्तविकता का रंग देने के लिए उठाए गए कदम प्रतीत होते हैं, लेकिन राजस्व का यह रुख कि ऐसी प्रविष्टि एक समायोजन प्रविष्टि थी, का पता लगाना आवश्यक है और निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए धन के निशान सहित खुलासा करने के लिए आवश्यक प्रविष्टियों के जाल का भी पता लगाना आवश्यक है। 25. उच्च न्यायालय ने जवाब में राजस्व द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे के साथ-साथ हलफनामे के उद्धृत पैरा 4.3 का व्यापक रूप से हवाला दिया, लेकिन फिर भी एक निष्कर्ष वापस किया कि अदालत को इस उद्देश्य के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं मिली कि -

अधिनियम की धारा 132 के तहत संतुष्टि दर्ज करना। हम पाते हैं कि विश्वास करने के कारण अंतिम निष्कर्ष नहीं हैं जिन पर राजस्व अधिनियम के अध्याय XIV-B के संदर्भ में खंड मूल्यांकन तैयार करते समय पहुंचेगा। विश्वास की न्यायसंगतता पर विचार करने की कसौटी यह है कि क्या ऐसे कारण पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं या सनकी हैं। जवाबी हलफनामे में दिए गए जवाब से पता चलता है कि राजस्व का इरादा परतों को अलग करना था।

ऐसा धन जो निर्धारिती द्वारा किए जाने का संदेह हो। राजस्व ने जोर देकर कहा है कि अल्पावधि के लिए बेनामी काले धन को कानून के दायरे में लाने के लिए आवास प्रविष्टि एक सामान्य कार्यप्रणाली है।

एक छोटी अवधि के लिए Rs.10 करोड़ का निवेश ब्याज आय अर्जित करने के लिए नहीं था क्योंकि उसी मूल्यांकन वर्ष में इसका भुगतान किया गया था। राजस्व द्वारा भुगतान किए गए धन के फंड ट्रेल की जांच करने का इरादा है मूल्यांकनकर्ता। इस तरह का विश्वास टोपी या सनकी से बाहर नहीं है। निर्धारिती का रुख है कि यह जांच है न कि राजस्व की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई। राजस्व विशिष्ट है ताकि इसकी वास्तविकता का पता लगाया जा सके।

लेन-देन यह मानते हुए कि यह केवल एक आवास प्रविष्टि थी।

26. प्रताप सिंह में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई वैध पाई गई। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय का रुख यह था कि

तलाशी के दौरान जब्त की गई सामग्री को देखते हुए, यह आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है, यह पाया गया कि इस दावे के लिए कोई वारंट नहीं था कि प्रत्येक तलाशी के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक सामग्री की जब्ती होनी चाहिए। ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें खोज विफल हो सकती है या दस्तावेजों का उचित स्पष्टीकरण सामने आ सकता है। तलाशी और जब्ती के इस चरण में, न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या विश्वास करने का कारण सद्भावना में है; यह केवल दिखावा नहीं हो सकता है। अभिलिखित विश्वास का विश्वास के निर्माण के लिए एक तर्कसंगत संबंध या प्रासंगिक संबंध होना चाहिए और यह धारा के उद्देश्य के लिए बाहरी या अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए। निर्धारिती द्वारा संक्षिप्त अवधि के लिए किए गए निवेश सहित संतुष्टि पत्र में दर्ज किए गए विस्तृत कारणों को ध्यान में रखते हुए और यह कि निवेश एक समायोजन प्रविष्टि है, इसे ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो अधिनियम की धारा 132 (1) की पूर्व-अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं करता है।

27. राजस्व के अनुसार, धारा 132 (1) के खंड (बी) और (सी) को प्राधिकरण के वारंट को मंजूरी देने से पहले संतुष्ट किया गया था। द.

संतुष्टि नोट एक निर्धारिती के संदर्भ में दर्ज किया गया था जिसके अधिकार क्षेत्र का आकलन अधिकारी पश्चिम बंगाल राज्य में था। यह ऐसे निर्धारिती के खातों का जाल है जिसकी आवश्यकता है -

अव्यवस्थित। राजस्व के लिए यह आशंका करना अनुचित नहीं है कि निर्धारिती पश्चिम बंगाल राज्य में निर्धारण अधिकारी के समक्ष समन का जवाब नहीं देगा। यह भी आरोप लगाया गया था कि इस तरह के समन से सरजू शर्मा और उनके समूह के खिलाफ राजस्व द्वारा एकत्र की गई जानकारी का खुलासा होगा। इसलिए, राजस्व द्वारा यह एक उचित विश्वास व्यक्त किया गया था कि निर्धारिती किसी भी लेखा पुस्तिका या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करेगा या पेश नहीं करेगा जो अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होंगे। इस तरह का विश्वास अनुमानों पर आधारित नहीं था, बल्कि आम तौर पर निर्धारिती द्वारा मामलों के सामान्य आचरण में तैयार की गई एक प्रामाणिक राय पर आधारित था।

आय कर (निवेश) और ओ. आर. एस. के प्रधान निदेशक को नोटिस। वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया [हेमंत गुप्ता, जे.]

राज्य में आयकर अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्धारिती

कंपनी और उसके सहयोगियों द्वारा खातों के जाल का पता लगाने के पूरे प्रयास को विफल करने के लिए पश्चिम बंगाल ने कंपनी और उसके समूह के खिलाफ सामग्री की पर्याप्त सूचना दी होगी।

28. यहां तक कि धारा 132 (1) का खंड (सी) भी संतुष्ट है। निर्धारिती

आई. डी. 1 करोड़ के कब्जे में था जो कंपनी को ऋण के रूप में दिया गया था। राजस्व यह पता लगाना चाहता है कि क्या ऐसी राशि एक अघोषित आय है जिसमें वे स्रोत शामिल होंगे जिनसे इस तरह की Rs.10 करोड़ की राशि पूरी तरह से किसी अजनबी को ऋण के रूप में दी गई थी

व्यक्ति, जो निर्धारिती के मामलों या किसी अन्य लिंक से असंबद्ध है, यह साबित करने के लिए कि अहमदाबाद में किसी व्यक्ति ने Rs.10 कैसे आगे बढ़ाया है।

गोवा में निवेश के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित कंपनी को रु। राजस्व विफल या सफल हो सकता है लेकिन यह सीमा पर तलाशी और जब्ती कार्यों में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं होगा, जिससे राजस्व को निर्धारिती द्वारा किए गए निवेश से जुड़े रहस्य को उजागर करने का अवसर नहीं मिलेगा।

29. टाटा सेल्युलर बनाम में इस न्यायालय के एक प्रसिद्ध निर्णय में।

भारत संघ 2 1, न्यायिक समीक्षा के दायरे पर, हालांकि निविदाओं के संदर्भ में, अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालयों की शक्तियों या सीमाओं पर बहुत अच्छी तरह से लागू होता है। संविधान। इन सिद्धांतों में से एक न्यायिक संयम है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 73. न्यायिक संयम का पालन वर्तमान में मनोदशा में है

इंग्लैंड। समीक्षा की न्यायिक शक्ति का प्रयोग किसी भी मामले पर लगाम लगाने के लिए किया जाता है।

अनियंत्रित कार्यकारी कार्यप्रणाली। संयम में दो हैं

किसी प्रशासनिक निर्णय को उसके गुण-दोष के आधार पर रद्द कर दें। ये प्रतिबंध प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक नियंत्रण की विशिष्टताएँ हैं।

74. न्यायिक समीक्षा का संबंध समीक्षा से है न कि गुण-दोष से

निर्णय जिसके समर्थन में न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन

किया जाता है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया स्वयं होती है।

XX

XX

XX

78. वेड्सबरी का यह आकर्षक सिद्धांत क्या है?

अनुचितता? क्या यह एक जादुई सूत्र है? आर. वी. में अस्क्यू [(1768)

बुर 2186: 98 ई. आर. 139], लॉर्ड मैन्सफील्ड ने इस प्रश्न पर विचार किया

कॉलेज के खिलाफ हेथर मैंडमस दिया जाना चाहिए

ysicians। उन्होंने प्रासंगिक सिद्धांतों को दो वाक्पटुता में व्यक्त किया

एनएनटीएस। उन्होंने दो शताब्दियों के बाद अधिक मूल्य प्राप्त कियाः

" यह सच है कि निर्णय और निर्णय लेने का विवेक

यह पेशा कॉलेज ऑफ फिजिशियन के लिए भरोसेमंद है और यह अदालत उनसे इसे नहीं लेगी, न ही उन्हें देय में बाधित करेगी।

और इसका उचित अभ्यास करें। लेकिन अभ्यास में उनका आचरण

इस प्रकार उनके लिए प्रतिबद्ध यह विश्वास निष्पक्ष, स्पष्ट और स्पष्ट होना चाहिए। निष्पक्ष; मनमाना, मनमौजी या पक्षपाती नहीं; बहुत कम,

नाराज़गी, या व्यक्तिगत नापसंद से विकृत "।

XX

XX

XX

) . इस स्तर पर, द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, 1993, खंड। 1 , पीपी। 19-850 , उद्धृत किया जा सकता हैः

" 4. वेड्सबरी सिद्धांत। - सार्वजनिक प्राधिकरण का निर्णय

रद्द किए जाने या अन्यथा एक द्वारा निपटाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा

निष्कर्ष यह है कि निर्णय ऐसा है कि कोई प्राधिकरण ठीक से नहीं है प्रासंगिक कानून पर खुद को निर्देशित करना और उचित रूप से कार्य करना

उस तक पहुँच गए हैं। (संबद्ध प्रांतीय पिक्चर हाउस

लिमिटेड वी. वेड्सबरी कॉर्प. [(1948) 1 के बी 223: (1947) 2 सभी ई. आर. 680], प्रति लॉर्ड ग्रीन, एम. आर.) "

XX

XX

XX

2. प्रशासनिक कानून में बर्नार्ड श्वाट्र्ज, द्वितीय संस्करण। , पी। 584

जैसा कि कहा जा सकता हैः

" यदि समीक्षा का दायरा बहुत व्यापक है, तो एजेंसियों को बदल दिया जाता है

अदालतों में मामलों के प्रसारण के लिए मीडिया से थोड़ा अधिक। यह सुरक्षित करने के लिए बनाई गई एजेंसियों के मूल्यों को नष्ट कर देगा

निरंतर के माध्यम से प्राप्त विशेष ज्ञान का लाभ

न्यायिक जांच को इतना प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए कि यह पूरी तरह से रोक सके वैधता के प्रश्न की जांच। अगर वह सवाल नहीं हो सकता है

न्यायाधीश द्वारा ठीक से जांचा गया, समीक्षा का अधिकार बन जाता है

अर्थहीन '। यह प्रशासनिक आदेशों की न्यायिक समीक्षा करता है।

वादी के लिए एक निराशाजनक औपचारिकता। ..... यह न्यायिक व्यवस्था को कम करता है।

ऐसे मामलों में प्रक्रिया केवल एक फिंट तक। ' आय कर के प्रारंभिक निदेशक (निवेश) और। वी. लालजीभाई कांजीभाई मंडालिया [हेमंत गुप्ता, जे.]

दो प्रमुख विचारों ने संयुक्त रूप से दायरे को कम कर दिया है समीक्षा। पहला प्रशासनिक विशेषज्ञ का सम्मान करना है। मुख्य न्यायाधीश नीली के शब्दों में:

' एक न्यायाधीश के रूप में अपनी सीमाओं के बारे में मुझे बहुत कम भ्रम हैं

और उन सीमाओं से मैं अंतर्निहित सीमाओं को सामान्यीकृत करता हूं। दर मामलों की समीक्षा करने वाले सभी अपीलीय न्यायालयों के लिए। होना ही चाहिए।

याद रखें कि यह न्यायालय लगभग 1262 मामलों को देखता है

पाँच न्यायाधीशों के साथ वर्ष। मैं लेखाकार नहीं हूँ, बिजली का

इंजीनियर, फाइनेंसर, बैंकर, स्टॉक ब्रोकर या सिस्टम

प्रबंधन विश्लेषक। न्यायाधीशों से अपेक्षा करना मूर्खता की पराकाष्ठा है को संबोधित करते हुए एक 5000 पृष्ठ रिकॉर्ड की बुद्धिमानी से समीक्षा करने के लिए

सार्वजनिक उपयोगिता संचालन की जटिलताएँ। '

यह एक न्यायाधीश का कार्य नहीं है कि वह एक सुपरबोर्ड के रूप में कार्य करे, या एक पांडित्यपूर्ण स्कूल मास्टर के उत्साह के साथ प्रशासक के लिए अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करे।

परिणाम समीक्षा का एक सिद्धांत है जो उस सीमा को सीमित करता है जिस तक विशेषज्ञ के विवेक की जांच गैर-विशेषज्ञ न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है। विकल्प यह है कि अदालत तकनीकी मामलों में एजेंसी को खारिज कर दे

वे मामले जहां विशेषज्ञता के सभी लाभ एजेंसियों के पास हैं। यदि कोई अदालत राज्य चिकित्सा परीक्षक मंडल जैसे निकाय के निर्णय की पूरी तरह से समीक्षा करती है, तो वह खुद को चिकित्सा विज्ञान की भूलभुलैया के बीच भटकते हुए या फार्माकोपिया के रहस्यों पर उलझन में पाएगी। ऐसी स्थिति जैसा कि एक राज्य की अदालत ने कई साल पहले व्यक्त किया था, 'अंधे का नेतृत्व अंधे करने का मामला नहीं है, बल्कि

वह व्यक्ति जो हमेशा बधिर और अंधा रहा है, इस बात पर जोर देता है कि वह उस व्यक्ति की तुलना में बेहतर देख और सुन सकता है जिसकी हमेशा अपनी दृष्टि और श्रवण शक्ति रही है और जिसने हमेशा संबंधित मामले के संबंध में सच्चाई का पता लगाने में उनका अधिकतम लाभ उठाया है।

संकीर्ण समीक्षा के लिए दूसरा विचार यह है कि

कैलेंडर दबाव। व्यावहारिक दृष्टि से यह अधिक महत्वपूर्ण विचार हो सकता है। सीमित समीक्षा के किसी भी सिद्धांत से अधिक यह हाथी के साथ संयुक्त न्यायिक कैलेंडर का दबाव है। इतनी सारी समीक्षा कार्यवाही में रिकॉर्ड का बड़ा हिस्सा जो एजेंसी के अधिकांश निर्णयों की पूर्ण पुष्टि की ओर ले जाता है।

XX

94. उपरोक्त से जो सिद्धांत निकाले जा सकते हैं वे हैंः

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक मामलों में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है।

कार्रवाई।

(2) अदालत अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठती है बल्कि केवल समीक्षा करती है।

जिस तरह से निर्णय लिया गया था।

प्रशासनिक निर्णय। यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा, जो स्वयं गलत हो सकता है। (4) .....

30. अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा और हस्तक्षेप की शक्ति की जांच की जा रही थी

इस न्यायालय के निर्णय को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। राजेन्द्र डी. हरमलकर 2 2. यह माना गया था कि हस्तक्षेप नहीं था

जब तक आदेश कानून के विपरीत नहीं था, या प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया गया था, या अप्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया गया था, या निर्णय ऐसा था जो कोई भी उचित व्यक्ति नहीं ले सकता था।

31. उत्कल आपूर्तिकर्ता बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए एक अन्य फैसले में। माँ।

कनक दुर्गा एंटरप्राइजेज 23, यह न्यायालय एक रिट याचिका में निविदा शर्तों की जांच कर रहा था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इन मामलों में न्यायिक समीक्षा न्यायिक संयम के बराबर है।

32. ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आलोक में, अभिलिखित विश्वास करने के कारणों की पर्याप्तता या अपर्याप्तता को कुछ समय के लिए नहीं देखा जा सकता है।

तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकरण के कार्य की वैधता पर विचार करना। केवल अभिलिखित विश्वास न्यायसंगत है, लेकिन केवल वेड्सबरी के तर्कसंगतता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए। इस तरह की तर्कसंगतता दर्ज किए गए कारणों पर विश्वास करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने की शक्ति नहीं है।

33. हम इन सिद्धांतों को दोहराना और विस्तार से बताना चाहेंगे।

तलाशी और जब्ती के मामले में रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

अधिनियम की धारा 132 इस प्रकार है:

राय का गठन और दर्ज किए गए विश्वास के कारण

(i)

न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्य है।

चरित्र में;

22 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 486

23 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 301 आय कर के सभी निदेशक (जांच) और लिभाई कांजीभाई मंडालिया [हेमंत गुप्ता, जे.]

जानकारी सामग्री के आधार पर अधिकृत अधिकारी के कब्जे में होनी चाहिए और यह कि राय ईमानदार और प्रामाणिक होनी चाहिए। यह केवल दिखावा नहीं हो सकता। किसी भी बाहरी या अप्रासंगिक पर विचार करना

सामग्री विश्वास/संतुष्टि को दूषित करेगी;

प्राधिकरण के पास ऐसी जानकारी होनी चाहिए जिसके आधार पर एक उचित विश्वास स्थापित किया जा सके कि संबंधित व्यक्ति ने लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में चूक की है या विफल रहा है।

समन या नोटिस जारी किया गया था, या ऐसा व्यक्ति ऐसे लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को पेश नहीं करेगा, भले ही उसे समन या नोटिस जारी किया गया हो; या ऐसे व्यक्ति के पास कोई धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से आय या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिसका खुलासा नहीं किया गया है या जिसका खुलासा नहीं किया जाएगा।

संतुष्टि नोट का हिस्सा बनने वाले ऐसे कारण न्यायालय की न्यायिक चेतना को संतुष्ट करने के लिए हैं और इस तरह के संतुष्टि नोट के किसी भी हिस्से को आदेश का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। यह प्रश्न कि क्या ऐसे कारण पर्याप्त हैं या नहीं, न्यायालय के लिए रिट याचिका में समीक्षा करने का विषय नहीं है। सक्षम प्राधिकारी को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाले आधारों की पर्याप्तता एक न्यायसंगत मुद्दा नहीं है।

विश्वास के गठन के कारणों की प्रासंगिकता का परीक्षण न्यायिक प्रतिबंध द्वारा किया जाना चाहिए जैसा कि प्रशासनिक कार्रवाई में होता है क्योंकि न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, बल्कि केवल उस तरीके की समीक्षा करता है जिसमें निर्णय लिया गया था।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

न्यायालय पर्याप्तता या पर्याप्तता की जांच नहीं करेगा।

इसका; वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से अंतःस्थापित स्पष्टीकरण के संदर्भ में, आयकर अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए विश्वास के ऐसे कारणों को किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राधिकरण को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है या

अपीलीय न्यायाधिकरण।

1 उपरोक्त को देखते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय दिनांकित 07.08.2018 खोज के प्राधिकरण को दरकिनार नहीं कर रहा था। अर्थात्, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, राजस्व कानून के अनुसार निर्धारिती के खिलाफ कार्यवाही करेगा।

अपील की अनुमति दी गई।

शुभांशु दास, एलसीआरए)